संख्या-23/2017/सीएम-13/78-1-2017-111आई0टी0/2017

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 11 सितम्बर, 2017

विषयः- मानव सम्पदा (ehrms.nic.in) नाम से विकसित पोर्टल का उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा मानव सम्पदा (ehrms.nic.in) नाम से एक पोर्टल विकसित किया गया है, जो मानव संसाधन प्रबंधन के लिए अत्यन्त्र उपयोगी है। इसमें आनलाइन व्यवस्था के माध्यम से अवकाश प्रबंधन, कार्मिकों के सर्विस बुक का रख-रखाव तथा अन्य कई सुविधाएं आनलाइन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है। चिकित्सा एवं स्वाथ्य विभाग द्वारा अपने चिकित्सों का विवरण इस पोर्टल पर फीड कर इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे विभाग को काफी सुविधा हुई है।

2- उक्त प्लेटफार्म के महत्व को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 महोदय द्वारा प्रदेश के विभागों में सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण इस पोर्टल में इस वर्ष के अन्त अर्थात 31-12-2017 तक फीड कर इसमें उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा यह भी निर्देश दिये गये है कि आगामी 02 अक्टूबर, 2017 से लागू होने वाली ई-आफिस व्यवस्था से इंटीग्रेट किया जाय।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित पोर्टल मानव सम्पदा (ehrms.nic.in) का प्रयोग अपने विभाग में तत्काल कराते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 23/2017/सीएम-13(1)/78-1-2017 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/यूपीएलसी/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0।
5- राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।
6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी।
7- हेड, एसईएमटी, गोमती नगर, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राज बहादुर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in